सीएमएचओ ने शाहनगर स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, ली बैठक

नवभारत न्यूज

पन्ना 6 फरवरी, कलेक्टर पन्ना श्रीमति उषा परमार एवं राज्य स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार स्वा. विभाग में संचालित विभिन्न कार्यक्रमो की समीक्षा एवं निगरानी हेतु विकासखंड एवं सेक्टर स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है.

इसी क्रम में गत दिवस सीएमएचओ डॉ आर पी तिवारी की अध्यक्षता में विकासखंड शाहनगर की स्वा. सूचकांको पर समीक्षा की गई। जिसमें प्रतिभागी के रूप में सेक्टर सुपरवाईजर, सीएचओ, एएनएम, आशा सुपरवाईजर उपस्थित रही। निर्धारित एजेंडे के अनुसार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। अनमोल पोर्टल पर शत-प्रतिशत गर्भवती पंजीयन एवं सेवाओ का डाटा इन्द्राज की स्थिति की समीक्षा, टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत संचालित यू-विन पोर्टल पर सत्र आयोजन पश्चात गर्भवती माताओ एवं टीकाकृत बच्चो की एंट्री हेतु निर्देश, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 एवं 25 तारीख को गर्भवती महिलाओ की जॉच एवं उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओ का चिन्हाकन एवं पोर्टल पर एंट्री के निर्देश, सीएम हेल्पलाइन का समय-सीमा मे निराकरण, ग्रामो में शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के निर्देश दिए गए।

लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर की कार्यवाही

सीएमएचओ आर. पी. तिवारी द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमो में कम उपलब्धता एवं लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियो पर कार्यवाही करते हुए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जरगवा में हाई रिस्क मैनेजमेंट शून्य रहने पर संस्था के सीएचओ गोविंद चैधरी, एएनएम सरोज सिंह का पॉच दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर सीएचओ मलघन शिवानी नायक, चैपरा सीएचओ भावना राजपूत, एएनएम आकांक्षा लखेरा, सीएचओ गजंदा काजल वर्मा, सीएचओ रैगुवा सुमित्रा कुमावत की एक दिवस की वेतन काटने के निर्देश दिए गए। अनमोल पोर्टल पर एंट्री न होने पर एएनएम शाहनगर पूना ठाकुर, सीएचओ गजंदा काजल वर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बैठक में जिले स्तर से डीपीएम डॉ अजहर अली, एमएच कार्डिनेटर प्रियंका शर्मा, एमएंडई श्रीमति तस्कीम खान, बीएमओ शाहनगर डॉ सर्वेश लोधी, ब्लॉक के बीपीएम, बीसीएम, बीईई, समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

कुत्तों से जान बचाने तालाब मे कूदा हिरण

ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला, वन अमले की निगरानी मे सुरक्षित

नवभारत न्यूज

देवेंद्रनगर/पन्ना 6 फरवरी, उत्तर वन मंडल के देवेन्द्रनगर अंतर्गत ग्राम जिगदही में आज शुक्रवार 6 फरवरी को एक हिरण की जान पर उस वक्त बन आई, जब आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उसे घेर लिया।

कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए हिरण पास ही के जिगदही तालाब में कूद गया। ग्रामीणों ने जैसे ही हिरण को पानी में संघर्ष करते देखा, तुरंत इसकी सूचना डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही डायल 112 का स्टॉफ मौके पर पहुंचा। उन्होंने तुरंत वन विभाग को भी सूचित किया। पुलिस टीम, वन विभाग के कर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद हिरण को सुरक्षित तालाब से बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के दौरान देखा गया कि हिरण के सींग पर चोट के निशान थे, वन विभाग की टीम ने उसका त्वरित प्राथमिक उपचार कराया। फिलहाल हिरण पूरी तरह सुरक्षित है और वन विभाग की निगरानी में है।

महाशिवरात्रि पर्व पर 15 फरवरी को होगा महादेव कार्यक्रम

नवभारत न्यूज

पन्ना 3 फरवरी, संस्कृति विभाग द्वारा इस वर्ष भी जिला प्रशासन के सहयोग से आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर महादेव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

जिला मुख्यालय में श्री जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाले महादेव पर्व के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर ने अन्य अधिकारियों को भी आवश्यक दायित्व सौंपे हैं।

करोड़ों की बिजली योजनाओं में ग्रहण, समय सीमा में पूर्णता नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना 6 फरवरी, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण को लेकर सरकारों की कई बड़ी-बड़ी योजनायें लागू हुई किन्तु सही क्रियान्वयन न होने के कारण जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाया।

आज भी देखा जा सकता है कि गांवों में खेल खलिहानों से गुजरने वाली पुरानी लाईनों के खंभे सीधे नहीं मिलेंगे। कोई 45 डिग्री तक झुका मिल जायेगा तो कोई जमीन में धराशाई होने की स्थिति में मिल सकता है। किन्तु विद्युतीकरण एवं विजली के उन्नयन की योजनाओं को देखा जाय तो एक-एक जिले में कई करोड़ खर्च हो चुके हैं किन्तु परिणाम संतोषजनक नहीं हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण:- वर्ष 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में शत प्रतिशत विद्युतीकरण किये जाने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत प्लान किया गया था कि किसी भी गरीब का घर विद्युतीकरण से छूटना नहीं चाहिये। इस योजना के माध्यम से विद्युतीकरण की नई परिभाषा भी दी गई थी। ऐसे गरीबों का चयन किया गया था जो बीपीएल श्रेणी के हैं और ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया था जहां विजली पहुची नहीं अथवा पहुची भी थी तो वह पर्याप्त नही थी। जब यह योजना प्रारंभ हुई तो लगा कि अब कोई भी गांव या मुहल्ला दूरस्थ क्षेत्र विद्युतीकरण से शेष नहीं रहेगा। किन्तु जब योजना में भ्रष्टाचार के वायरस बढ़े तो इस योजना का अंत एक बड़े भ्रष्टाचार के रूप में सामने आया। किन्तु ऐसे लोगों के खिलाफ कोई जांच या कार्रवाई नहीं हो पाई।

फिर आई दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 2014:- इसके बाद वर्ष 2014 में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के नाम नई योजना का उदय हुआ । इस योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को भी समाहित कर दिया गया। इस योजना का भी मकसद था कि कृषि एवं गैर कृषि फीडरों को अलग किया जाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विजली की उपलब्धता को मजबूत किया जाय। दो-तीन साल तक इस योजना का भी काम चला जहां प्रचार तो बहुत हुआ किन्तु अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो पाया।

फीडर विभक्तीकरण के नाम पर कई कार्यों में करोड़ो की राशि खर्च कर दी गई किन्तु गावों में बिजली संकट को लेकर जो समस्या थी वह यथावत ही बनी रही। इस योजना के नाम पर भी भारी भरकम राशि खर्च हुई किन्तु विद्यतीकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया।

2017 में आई सौभाग्य योजना:- वर्ष 2017 में एक नई योजना प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना याने सौभाग्य योजना के नाम पर प्रत्यक घर तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना का भी प्रचार तो इस तरह से से हुआ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली अधोसंरचना पूरी तरह से अपडेट हो जायेगी। सड़े-गले ट्रांसफार्मर दिखाई नहीं देंगे। पुरानी लाईनों के स्थान पर नई लाईले खींच दी जायेंगी। कोई भी घर विद्युतीकरण से बंचित नहीं रहेगा। किसी भी गरीब का अंधेरे में नहीं रहेगा। किन्तु इस योजना का क्रियान्वयन इस तरह से हुआ कि विभाग में बिना कार्य किये ही इतनी तेजी के साथ लक्ष्य को पूरा किया कि केन्द्र तक प्रचार हो गया कि योजना पूरी हो गई। किन्तु जब हकीकत सामने आई तो और जांचे शुरू हुई तो पता चला कि व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है। जहां कई बड़े अधिकारियों को जेल जाना पड़ सकता है। किन्तु जांच के बाद मामला ठण्डे बस्ते में चला गया जो आज तक खोज का विषय बना हुआ है। जबकि आज भी लोग सौभाग्य योजना को दुर्भाग्य योजना मान रहे है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर बार-बार क्यों हुआ बड़ा घोटाला?:- सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर जिस तरह से पिछले करीब बीस वर्षों से एक-एक जिले में करोड़ों अरबों की राशि खर्च की गई है वह समुचित रूप से उपयोग नहीं हो पाई। जिस लक्ष्य को पाने के लिये बड़े- बड़े दावे किये गये थे, कई तरह के सपने दिखाये गये थे वे केवल बातों तक ही सीमित रह गये। एक तरह से जनता को सपने दिखाकर उसके साथ धोखा किया गया जबकि भ्रष्टाचारी तंत्र योजनाओं के नाम पर लूट करने पर अमादा रहा।

सोते समय घर में लगी आग से वृद्ध महिला जिंदा जली, वृद्ध पति झुलसा

नवभारत न्यूज

गुनौर/पन्ना 6 फरवरी, जिले के गुनौर थाना के समीपी गांव पड़ेरी में बीती रात एक हृदयविदारक हादसा हो गया। खेत में बने कच्चे घर में अचानक आग लगने से 75 वर्षीय वृद्ध महिला श्याम बाई की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि उनके पति गोरेलाल प्रजापति आग की लपटों से घिरे घर से बाहर निकलकर किसी तरह जान बचाने में सफल रहे।

हालांकि वे भी आग से झुलस गए, जिन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुनौर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के समय वृद्ध दंपती घर के अंदर सो रहे थे। थाना प्रभारी गुनौर माधवी अग्निहोत्री ने बताया कि ठंड से बचाव के लिए कमरे के भीतर आग जलाई गई थी। देर रात दोनों की आंख लग गई और संभवत: उसी दौरान आग भड़क उठी। कुछ ही पलों में आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। आग की तेज लपटों में घिरी वृद्ध महिला बाहर नहीं निकल सकीं और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।

कल्याणकारी योजनाओं के दौड़ रहे प्रगति के कागजी घोड़े

जिले में ठप्प पडी योजनाएं, प्रशासन मौन

नवभारत न्यूज

पन्ना 6 फरवरी, शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला प्रशासन कोई रुचि नहीं ले रहा है। लिहाजा विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण आम जनों को योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि जिले में ठप्प पड़ी हुई हैं।

विभागीय अधिकारी योजनाओं के संबंध में कोई प्रचार-प्रसार करने की जरूरत नहीं समझते। ऐसे में पात्र हितग्राहियों को योजनाओं के संबंध में कुछ मालूम नहीं पड़ता। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले आंकड़े प्रदर्शित करनें के लिए आनन- फानन में कुछ हितग्राही तलाश लिए जाते हैं। शासन की सबसे महत्वपूर्ण नि:शुल्क खाद्यान्न योजना के क्रियान्वयन पर नजर दौड़ाई जाए तो मालूम पड़ता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में खास लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं। कई ऐसे जरूरतमंद हैं जिनको अब भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में तो स्थिति और भी मनमानीपूर्ण है। यहां जरूरतमंदों के काफी भटकने के बाद भी उनका खाद्यान्न कूपन तक नहीं बन सका है। वहीं मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना का हश्र भी किसी से छिपा नहीं है। शिविर लगाकर हजारों की संख्या में लोगों से आवेदन लिए गए। बाद में हितग्राहियों को भूमि उपलब्ध करानें में ही राजस्व विभाग अपनी निष्क्रियता प्रदर्शित कर चुका है। जहां से लाभ मिलना चाहिए वहां हितग्राही के पहुंचते ही सौदेबाजी शुरू हो जाती है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षीय घर-घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट पन्ना जिले में चढ़ चुकी है।

करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी अधिकांश घरों में नल के माध्यम से पानी नहीं पहुंच रहा है। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के तहत जिनके कार्ड बनाए गए हैं उनको जिले के प्रायवेट अस्पतालों में कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। बड़ी बीमारियों में भी संबंधित अस्पताल मरीजों के परिजनों से भी बहानेबाजी कर राशि ऐंठ लेते हैं और शासन से भी निर्धारित से ज्यादा राशि ले रहे हैं।

ये हैं शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना, ब्याज माफी योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, निःशुल्क खाद्यान्न योजना, स्वामित्व योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मां तुझे प्रणाम योजना, प्रतिभा किरण योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, आहार अनुदान योजना, प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना, नल-जल योजना, स्व सहायता समूह है।

जिले भर के छात्रावासों की हालत दयनीय निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग कागजों में

नवभारत न्यूज

पन्ना 6 फरवरी, पन्ना जिले मे आदिम जाति कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा काफी संख्या मे छात्रावासों का संचालन हो रहा है लेकिन अधिकांश छात्रावासों मे छात्रों की उपस्थिति न्यून होने के बावजूद फर्जी उपस्थिति दर्शाकर तथा रख रखाव एवं छात्रों पर खर्च राशि दर्शाकर व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।

शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि छात्रावासों का समय समय पर नियमित निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग की जाये लेकिन सारे निर्देश एवं निरीक्षण कागजी खानापूर्ति तक सिमट कर रह गये हैं जिस कारण छात्रावासों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जिले में छात्रावासों की हालत कभी ठीक नहीं रही है। यहां पर संचालित एक सैंकडा से अधिक छात्रावासों में छात्र छात्राएं सुविधा संसाधन के लिए तरसते रहते हैं कहने को तो पूरे जिले में लगभग सैंकड़ा भर छात्रावास चल रहे हैं।किंतु सुविधा संसाधनों के नाम पर इन हॉस्टलों में छात्र छात्राओं को ठगा जाता रहा है। सूत्रों के माने तो छात्रावासों में फर्जी छात्र संख्या दर्ज कर राशि हडपने का सिलसिला अभी भी चल रहा ळै। इस पूरे खेल में छात्रावासों के अधीक्षकों के अलावा शिक्षा एवं ट्रायवल विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है। कई बार छात्रावासों से जुडी शिकायतें भी हुई हैं। किंतु ठोस कार्यवाही न होने से नतीजा सिफर रहा है। दरअसल छात्र छात्राओं के खाने पीने की सुविधा के साथ अन्य संसाधन जुटाने के लिए जो राशि शासन द्वारा प्रदान कराई जाती है। उसमें बंदरबांट चल रहा है। गौरतलब है कि जिले में जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत अनुसूचित जात व जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास की सुविधा मुहैया कराई गई है। जहां सुविधा व संसाधन मुहैया कराने के वजाय शिक्षा एवं ट्रायवल विभाग अपनी जेब भरने मे लगा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि शासन से जो राशि इन छात्रावासें में छात्रों की सुविधा व संसाधन के लिए आती है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है।

फर्जी उपस्थिति का खेल:- जिले के शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रावासों में फर्जी तौर पर छात्रों की उपस्थिति दर्शाकर राशि में बंदरबांट किया जा रहा है। यह खेल जिले में संचालित अधिकांश छात्रावासों में चल रहा है।

छात्रावासों में बिजली, पानी सहित मूलभूत सुविधाओं का संकट

जिले में संचालित अधिकांश छात्रावासों में बिजली, पानी का संकट है। इस संबंध में कई बार छात्रों ने जिला प्रशासन से शिकायत भी की किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। बताया गया है कि बिजली, पानी के अलावा छात्रों के बिस्तरों की व्यवस्था में भी कोई सुधार नहीं है। इनके नाम पर जो बजट आता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। सूत्रों की मानें तो निरीक्षण के नाम पर सिवाय कागजी खानापूर्ति की जा रही है शायद ही किसी छात्रावास का सही ढंग से निरीक्षण होता हो अन्यथा आज यह स्थितियां निर्मित न होती।

पैथालॉजी जांच के लिए अब आभा आईडी आवश्यक

नवभारत न्यूज

पन्ना 6 फरवरी, शासन के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालयों में अब पैथालॉजी जांच के लिए आभा आईडी सहित आधार कार्ड एवं ओटीपी के लिए सक्रिय आधार लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य किया गया है।

सिविल सर्जन डॉ. आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि एक फरवरी से लैब सॉफ्टवेयर में अपडेशन के कारण सेंट्रल लैब में जांच के लिए आभा आईडी और आधार कार्ड आवश्यक है। इस संबंध में सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वांछित दस्तावेज के साथ ही जिला अस्पताल में जांच के लिए पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

गिद्ध संरक्षण की दिशा में मेडिकल स्टोर की जांच

दक्षिण पन्ना वनमण्डल अंतर्गत मोहन्द्रा रेंज में वन अमले द्वारा शिवानी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक को स्पष्ट रूप से समझाइश दी गई कि डिक्लोफेनिक, निमेसुलाइड, ऐसिक्लोफेनिक जैसी दवाओं का पशुओं के उपचार हेतु विक्रय न किया जाए, क्योंकि ये दवाएं गिद्धों सहित अन्य वन्य प्राणियों के लिए अत्यंत विषाक्त होती हैं। गिद्ध संरक्षण के अंतर्गत वन विभाग द्वारा दवा दुकानों की नियमित जांच, दवा विक्रेताओं से समन्वय तथा सुरक्षित विकल्प के रूप में मेलॉक्सिकैम एवं टॉल्फेनामिक एसिड जैसी दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे गिद्धों की घटती संख्या पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

पंद्रहवें वित्त आयोग में करोड़ों हुये स्वाहा, पूर्णता पर उठ रहे सवाल

नवभारत न्यूज

पन्ना 6 फरवरी, पन्द्रहवें वित्त से ग्रामीण विकास विभाग में करोड़ों के कार्यो की स्वीकृति जारी हुई थी। जहां जिला पंचायत से जनपद व पंचायत स्तर कार्य स्वीकृत हुये। किन्तु पूरा साल बीतने के बाद अभी तक पूर्ण हुये कार्यो की स्थिति डांवाडोल दिखाई दे रहे हैं जिसमें जांच का विषय यह है कि क्या दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हुआ अथवा राशि का केवल बंदरबांट किया गया है।

ज्ञात हो कि ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 14 जनवरी 2024 के अनुसार 15वें वित्त आयोग की आबद्ध राशि के उपयोग के जो दिशा निर्देश जारी किये गये थें उसके अनुसार पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के कार्यो में राशि व्यय की जायेगी। 30 प्रतिशत की राशि स्वच्छता की गतिविधियों एवं ओडीएफ की निरन्तरता के लिये प्रावधानित की गई थी। कहा गया था कि वर्ष 2024-25 में दर्ज विकास योजना में इस मद की अधिक राशि 80 प्रतिशत नाली निर्माण, सीसी निर्माण कार्य पर प्रावधानित किया गया था।

दिशा निर्देश के प्रमुख बिन्दु:- 15 वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों मे कहा गया था कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यो पर इस राशि का व्यय तभी किया जाय जब ऐसे ग्रामों में अधोसंरचना का कोई गैप हो। पहले ऐसे ग्रामों में स्वच्छ भारत मिशन के शेष बजट का उपयोग किया जाय। जिसमें 30 प्रतिशत का मैचिंग योगदान स्वच्छता टाईड फण्ड से होगा। गैप की पहचान अनिवार्य रूप से की जाय। इसके अतिरित पेयजल अंतर्गत उपलब्ध 30 प्रतिशत राशि से भी तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य किये जा सकते हैं। नाली निर्माण केवल ग्रे वाटर परिहवन हेतु ही किया जा सकेगा। अन्यथा नाली निर्माण टाईड फंड से प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार ठोस अपशिष्ट वाले ग्रामों में भी राशि का उपयोग अधोसंरचना गैप की पहचान के आधार पर ही किया जायेगा। इसके अतिरित शेष ऐसे ग्रामों में राशि का उपयोग निर्धारित निर्माण कार्यो, मशीन एवं वाहन क्रय, रखरखाव आदि तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन की निर्धारित गतिविधियों में किया जायेगा। ऐसे गांवों में स्वच्छ भारत मिशन से प्राप्त बजट का भी शत प्रतिशत किया जायेगा।

निरन्तरता हेतु व्यय का प्रावधान:- दिशा निर्देशों मे कहा गया था कि स्वच्छता सेवाओं की निरन्तरता हेतु परिसंपत्तियों का संचालन प्रबंधन एवं रखरखाव हेतु उपलब्धता आवश्यक है। इसलिये अनुमानित राशि को अनिवार्यत: प्रावधानित किया जाये। ग्राम पंचायतों में उपलब्ध 30 प्रतिशत टाईड फंड का न्यूनतम 30 प्रतिशत स्वच्छता की निरन्तरता के लिये जरूरी किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में जिला एवं जनपदों की भूमिका रहेगी। कहा गया है कि जिला एवं जनपद अपनी कार्ययोजना का पुन: परीक्षण करें और उनको संशोधित कर पूरक कार्ययोजना तैयार करें। कुल उपलब्ध बजट का 30 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में एंव 30 प्रतिशत एक से अधिक पंचायतों के निर्मित स्वच्छता परिसंपत्तियों के लिये व्यय करना होगा। प्रशासकीय एवं तकनीकी गतिविधियों पर अधिकतम 10 प्रतिशत ही व्यय किया जा सकता है। जिला जनपद के नये कार्यो में पहले मिशन की कार्ययोजना के कार्यो पर तथा उसके पश्चात शेष राशि टाईड फंड के अनुमत्य कार्यो पर व्यय करना होगा। जहां कार्य की अनुमानित लागत प्रदाय राशि से अधिक वहां आवश्यकता का आंकलन कर अतिरित राशि की पूर्ति जिला व जनपद से की जायेगी। लेकिन उपरोक्त दिशा निर्देशों के विपरीत जनपदों से लेकर जिला पंचायत तक जमकर बंदरबांट हुआ और निर्देशों के विपरीत कार्य हुए।

भण्डार क्रय नियमों का पालन प्रत्येक स्तर पर आवश्यक:- निर्देशों में कहा गया था कि स्वच्छता के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक स्तर की कार्ययोजनाओं में संचालन संधारण के आवश्यक कार्यो को प्राथमिकता से लिया जाये। सामग्री तथा सेवाओं को मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियमों तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार उपार्जित किया जाय। सामग्री का क्रय एवं उपयुत प्रबंधन हेतु व्यक्ति या संस्था को अनुबंधित किया जाय। घर-घर ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथकरण एवं प्रसंस्करण के लिये आवश्यक सेवायें एवं सामग्री, परिवहन व्यय, नियमित संचालन एवं रख रखा हेतु स्वच्छता कर्मियों की संलग्न किये जांय। सफाई कर्मियों को भी अनुबंधित किया जाये। निजी एजेंसियों एवं अन्य संस्थान जो यह कार्य करने के लिये इच्छुक हैं को अनुबंधित कर संलग्न किया जाय। सेवाओं हेत संलग्न एजेंसियों का निरन्तर मूल्यांकन एवं निगरानी की जाय। सामग्री, मशीन, वाहन एवं अन्य उपकरण क्रय करते समय गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाय। विक्रेता से गारंटी, वारंटी, वाहन एवं मशीन के मम्मत अनुबंध भी क्रय मूल्य के साथ लिया जाय। कोई भी क्रय उपार्जन सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से किया जाय। लेकिन उपरोक्त भण्डार क्रय नियमों के विपरीत पंचायतों मे अपने चहेतों के नाम की फर्मो के माध्यम से खरीदी कर बिलों के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा किये जाने की चर्चाएं पूरे जिले में हैं।

पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा किया जाय

निर्देशों में कहा गया था कि स्वच्छता संबंधी निर्माण एवं पूंजीगत कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण कयी प्रति जिला जनपद की स्वच्छ भारत मिशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करवाया जाय। गुणवत्ता के लिये सहायक यंत्री जिम्मेवार होगे। जिला एवं ब्लाक समन्वयक माह मे कम से कम दो बार प्रगति की जानकारी से सीईओ जिला व जनपद को अवगत करवायेंगे। जिस पंचायत में पेयजल के आवश्यक कार्यो की पूर्णता प्राप्त हो चुकी है एवं टाईड फंड की राशि शेष है तो वहां उपलब्ध राशि का उपयोग स्वच्छता कार्यो में की जा सकेगी। किन्तु इसके लिये ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणीकरण एवं सीईओ जनपद द्वारा पुष्टि आवश्यकत होगी।